आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई व बारे में टिप्पणी और तारीख
11.02.2020	**न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया** उत्पाद वाद संख्या-324/2019 राज्य बनाम 1. तेज नारायण साह, पिता छोटे लाल साह, सा0-हरिचंदपुर, वार्ड नं0-05, थाना-जलालगढ़, जिला-पूर्णिया। (जप्त मोटर साईकिल चेचिस सं0-MD634CE49K2E25492, Engine No. CE4K2024736 के स्वामी) 2. उषा देवी, पति तेज नारायण साह, पिता छोटे लाल साह, सा0-हरिचंदपुर, वार्ड नं0-05, थाना-जलालगढ़, जिला-पूर्णिया। **आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद **जलालगढ़ थाना कांड सं0-113/2019 दिनांक 04.09.19** के आलोक में प्रारम्भ की गई है। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 4210/हि0शा0 दिनांक-04.11.2019** द्वारा राजसात का प्रस्ताव प्राप्त है। प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी सं0-01 के वाहन की जाँच दिनांक 04.09.19 को हरिचंदपुर ग्रामीण सड़क मजिस्द से 500 कि0मि0 की दूरी पर की गई। जांच के क्रम में विपक्षी सं0-01 के **जप्त वाहन पर सवार दोनो व्यक्ति भागने का कोशिश करने लगे, तत्पश्चात पुलिस बल के सहयोग से दोनो को पकड़ा गया जिसमें से 01 व्यक्ति के हाथ मे लिये हुए झोला से 02 बोतल शराब तथा जप्त वाहन के डिक्की से रॉयल स्टेग विस्की का 02 बोतल (प्रति बोतल 750मि0ली0) शराब** पाया गया। साथ ही विपक्षी सं0-02 के घर में अर्द्ध निर्मित शौचालय के टंकी से किंग फिसर बीयर का 72 बोतल (प्रति बोतल 500मि0ली0) ऑफिसर च्वाईस का 48 बोतल(प्रति बोतल 180मि0ली0) एवं रॉयल स्टेग विस्की का 01 बोतल (प्रति बोतल 750मि0ली0) शराब पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन एवं शराब बरामदगी स्थल को राजसात करने की अनुशंसा की गई है। इस वाद में विपक्षीगण द्वारा समर्पित कारणपृच्छा दिनांक 28.01.20 का अवलोकन किया तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका मुख्य रूप से कथन है कि विपक्षी सं0-01 के जप्त वाहन में डिक्की लगा हुआ था ही नहीं फिर किस परिस्थिति में पुलिस द्वारा वाद दायर किया गया कि जप्त वाहन के डिक्की से शराब बरामद हुआ है। इस संबंध में जप्ती सूची में पुलिस द्वारा गवाह के रूप में सुरेश साह एवं दीपक कुमार का हस्ताक्षर कराया गया। उक्त दोनो गवाहों द्वारा क्रमश शपथ पत्र सं0-156/20 एवं 157/20 के द्वारा शपथ कर बताया गया है कि जप्त	

वाहन में डिक्की लगा हुआ नहीं था और न ही मोटर साईकिल से शराब बरामद हुआ है। जहाँ तक शराब बरामदगी स्थल का प्रश्न है वह स्थल एक संयुक्त सम्पत्ति है जो छोटे लाल साह की है। छोटे लाल साह विपक्षी सं0-02 के ससुर हैं। प्रश्नगत जमीन (स्थल) के 05 हिस्सेदार हैं तथा पाँचों लोगों का दखल कब्जा है। जबकि सम्पूर्ण स्थल को राजसात करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। पुलिस द्वारा लाया गया यह वाद पोषणीय नहीं है। अतएव राजसात की कार्यवाही समाप्त करने की कृपा की जाए।

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि विपक्षी सं0-01 के वाहन से 02 बोतल तथा विपक्षी सं0-02 के आवासीय परिसर से भारी मात्रा में अवैध शराब जप्त हुआ है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में तथा स्थल का उपयोग अवैध शराब के भंडारण में किया गया है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कारणपृच्छा में ऐसा कोई तथ्य नहीं लाया गया है कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जप्त वाहन/स्थल से शराब बरामद नहीं हुआ है। विपक्षी द्वारा यह कहा जा रहा है कि जप्त मोटर साईकिल में डिक्की लगी हुई नहीं थी। डिक्की के साथ-साथ मोटर साईकिल पर सवार अभियुक्त के हाथ में रखे झोले से भी शराब बरामद हुआ है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि **"उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।"** स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। साथ ही विपक्षी सं0-02 के आवासीय परिसर से अवैध शराब पाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत् प्राप्त शक्ति के आलोक में विपक्षी सं0-01 के जप्त वाहन एवं विपक्षी सं0-02 के आवासीय परिसर को राजसात किया जाना आवश्यक है।

विपक्षीगण से प्राप्त कारणपृच्छा, पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता के अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी सं0-01 के वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन हेतु किया गया है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **विपक्षी सं0-01 के जप्त मोटर साईकिल चेचिस सं0-MD634CE49K2E25492, Engine No. CE4K2024736** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

साथ ही अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी, जलालगढ़ के पत्रांक 1212 दिनांक 26.11.19 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा-हरिचंदपुर, थाना नं0-165, खाता सं0-21, खेसरा सं0-1220, रकवा-0.04डी0 जमीन में से विपक्षी सं0-02 का हिस्सा 0.01डी0 होता है, जबकि पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा सम्पूर्ण रकवा-0.04डी0 के राजसात का प्रस्ताव भेजा गया है। तदनुसार इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से संशोधित प्रस्ताव की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 28.02.2020 को प्रस्तुत करें।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।